प्रेस नोट
दिनांक – 23.11.2025
जनपद – गोण्डा

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जनपद गोण्डा में "बहू-बेटी सम्मेलन" का हुआ आयोजन; क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा थाना इटियाथोक क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं से संवाद, महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन पर दिया गया विशेष जोर-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत आज दिनांक 23.11.2025 को जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में "बहू-बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया। इस क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा थाना इटियाथोक क्षेत्र में आयोजित बहू-बेटी सम्मेलन में प्रतिभाग कर क्षेत्र की महिलाओं, युवतियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहुओं एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर महोदया द्वारा उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, आत्मनिर्भरता एवं सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। क्षेत्राधिकारी सदर महोदया द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं—जैसे कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजनाएं—के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं को इनका लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया।
उन्होंने महिलाओं को यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध या अन्य आपात स्थिति में तुरंत निम्न हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें—
महिला हेल्पलाइन 1090
महिला हेल्पलाइन 181
डायल 112
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098
साइबर हेल्पलाइन 1930

सम्मेलन में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा आत्मरक्षा के उपाय, साइबर अपराध से बचाव, ऑनलाइन ठगी से सतर्कता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा उन्मूलन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा स्वच्छता एवं साफ़-सफ़ाई के महत्व पर भी जानकारी दी गई। क्षेत्राधिकारी सदर महोदया ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं में सुरक्षा की भावना को सशक्त करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं।

सामुदायिक संवाद -- बहू-बेटी सम्मेलन का मुख्य आधार
बहू-बेटी सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं के बीच सामुदायिक संवाद को मजबूत करना है। कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण खंड के अंतर्गत—

- सास, बहू, बेटियों तथा परिवार की विभिन्न पीढ़ियों के बीच संवाद स्थापित कराया गया।
- महिलाओं को अपने अनुभव, चिंताएँ, पारिवारिक चुनौतियाँ, सामाजिक दबाव एवं दैनिक जीवन से जुड़े मुद्दे बिना झिझक व्यक्त करने के लिए एक खुला संवाद मंच प्रदान किया गया।

- क्षेत्राधिकारी सदर महोदया एवं महिला पुलिस टीम ने प्रत्येक मुद्दे को गंभीरता से सुनकर उनके समाधान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए चर्चा की गई।
- संवाद प्रक्रिया के दौरान घरेलू कलह, मानसिक उत्पीड़न, शिक्षा में बाधाएँ, नशा मुक्ति, दहेज, बाल विवाह, साइबर सुरक्षा और स्वावलंबन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
- उपस्थित सास-बहू एवं युवा बालिकाओं को यह समझाया गया कि पारिवारिक एकता, परस्पर सम्मान और सहयोग से ही समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है।

सामुदायिक संवाद के इस मंच से न केवल महिलाओं को अपनी समस्याओं को खुलकर रखने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें एक सहयोगी एवं प्रोत्साहनकारी वातावरण भी मिलता है जहाँ वे समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ सकें।

क्षेत्राधिकारी महोदया ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं में विश्वास, सुरक्षा की भावना, जागरूकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी महिलाओं से मिशन शक्ति अभियान को अपना सहयोग देने एवं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की। इसी प्रकार जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में आज प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों एवं महिला बीट अधिकारियों द्वारा बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान की जानकारी देकर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संवाद स्थापित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 23.11.2025</u>

<u>मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक-</u>

गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है-

112- पुलिस आपातकालीन सेवा
1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108- एंबुलेंस सेवा
1930- साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098- चाइल्ड हेल्पलाइन
102- स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 23.11.2025

थाना छपिया पुलिस व एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त 05 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश गोली लगने से घायल। थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट समेत दो घटनाओं का हुआ खुलासा, कब्जे से लूटकर घटना में प्रयुक्त 01 अपाची मोटरसाइकिल, 01 स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल सहित लूटे हुए 01 अदद लैपटाप, 3,00,000/- रुपए नगद व 02 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0-408/25 धारा-126(2), 309(4), 311 बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 शातिर लुटेरों 1. किस्मत अली उर्फ बाबा पुत्र शौकत अली, व 2.विकाश शर्मा पुत्र रवींद्र शर्मा पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार समेत अन्य 03 अभियुक्तों 03. पवन वर्मा पुत्र सुरेश वर्मा, 04. अलीमुद्दीन पुत्र मुहीद्दीन व 05. लवकुश यादव पुत्र रामतेज यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गये 3,00,000/- रूपये नगद, लूट का 01 अदद लैपटॉप व घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल, 01 स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल व 02 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.2025 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इटई में सीएससी संचालक वादी श्री रामकुमार वर्मा पुत्र रामदेव वर्मा निवासी केशवनगर ग्रंट पूर्वी थाना खोडारे जनपद गोण्डा से 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचे के बल पर कैश लूट की घटना घटित हुई थी। प्रकरण के संबंध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के जल्द से जल्द अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित कुल 03 टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 23.11.2025 को थाना छपिया व एसओजी / सर्विलांस की संयुक्त टीम घटना के सफल अनावरण के क्रम में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि इटई में लूट की घटना कारित करने वाले 05 शातिर बदमाश छपिया परशुरामपुर मुख्य मार्ग पर टैरवा बाजार से आगे पुलिया पर खड़े हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर घेराबन्दी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया जिसपर बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में दो बदमाशों 1. किस्मत अली उर्फ बाबा पुत्र शौकत अली, व 2.विकाश शर्मा पुत्र रवींद्र शर्मा को पैर में गोली लगीं। इसी दौरान उनके अन्य साथी अभियुक्त 1. पवन वर्मा, 2. अलीमुद्दीन व 3. लवकुश यादव द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसपर पुलिसबल द्वारा तत्परता से घेराबन्दी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में पुलिस द्वारा घायल अभियुक्तगण किस्मत अली उर्फ बाबा व 2.विकाश शर्मा को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी छपिया ले जाया गया। जहां प्रारंभिक उपचार के बाद जिला अस्पताल गोण्डा मे चोटिल घायलों को भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 3,00,000/- रूपये नगद, लूट का 01 अदद लैपटॉप, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल, 01 स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल व 02 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर लूट की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। दिनांक 15.11.2025 को इटईपुरवा के पास एक व्यक्ति से नगदी व लैपटॉप लूट लिए थे जो हम सभी ने आपस में बाँट लिए थे। तथा इन्ही गिरोह के सदस्यों द्वारा दिनांक 21.10.2025 को काले रंग की

अपाचे मोटरसाइकिल क थाना परसरामपुर क्षेत्र से लूटी थी। इन लुटेरों द्वारा लूटी हुई सामग्री को बेच दिया जाता है और प्राप्त पैसे को आपस में बाँट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. किस्मत अली उर्फ बाबा पुत्र शौकत अली निवासी घूरनपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र-करीब 24 वर्ष
02. विकाश शर्मा पुत्र रवींद्र शर्मा निवासी ग्राम संगवा थाना छपिया उम्र-करीब 23 वर्ष
03. पवन वर्मा पुत्र सुरेश वर्मा निवासी ग्राम जगदीश पुत्र थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती, उम्र-करीब 21 वर्ष
04. अलीमुद्दीन पुत्र मुहीद्दीन निवासी ग्राम घूरनपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र-करीब 22 वर्ष
05. लवकुश यादव पुत्र रामतेज यादव निवासी ग्राम चकिया थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र-करीब 22 वर्ष।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-408/25 धारा-126(2), 309(4), 311 BNS थाना छपिया जनपद गोण्डा
02. मु0अ0सं0-निल/25 धारा-126(2), 310(2) BNS थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0- 421/25 धारा 310(2)/317(2)/109(1)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 03 लाख रूपये नगद
02. 01 अदद स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल UP 43 BJ 6056
03. 01 अदद काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल
04. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस
05. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस
06. 01 अदद लैपटाप

आपराधिक इतिहास मोहम्मद अलीमुद्दीन पुत्र मोहम्मद मोहीउद्दीन -

01- मु0अ0स0-139/23, धारा 323, 504, 506 IPC तथा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(VA) Sc/St Act थाना परशुरामपुर जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास पवन वर्मा पुत्र सुरेश वर्मा -

01- मु0अ0स0-139/23, धारा 323, 504, 506 IPC तथा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(VA) Sc/St Act थाना परशुरामपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना छपिया
02. श्री गौरव सिंह प्रभारी- एस0ओ0जी0/सर्विलांस।
03. उ0नि0 प्रशांत गुप्ता थाना छपिया
04. उ0नि0 घनश्याम वर्मा थाना छपिया
05. हे0का0 अमित पाठक- एस0ओ0जी0/सर्विलांस।
06. हे0का0 रणधीर- एस0ओ0जी0

07. हे0का0 अरूण यादव- एस0ओ0जी0
08. हे0 का0 लोकेश नागर- एस0ओ0जी0
09.हे0का0 राशिद अली- एस0ओ0जी0
10.हे0का0 बिरजू- एस0ओ0जी0
11.हे0का0 श्याम नरायन- एस0ओ0जी0
12.का0 अनुराग पटेल- एस0ओ0जी0
13.हे0का0 रवि यादव- एस0ओ0जी0
14. हे0का0 पुनीत वर्मा थाना छपिया
15. हे0का0 अरविंद कुमार थाना छपिया
16. का0 संजेश सिंह थाना छपिया
17. का0 संजय यादव थाना छपिया

मीडिया सेल, गोण्डा।